U;k;ky; Hkw izcU/k vf/kdkjh ,o insu jktLo vihy izkf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkM+h vkj0,0,l0

vihy la0 50@2019

1. कालू शाह पुत्र ईस्माईल शाह जाति काजी गौरी (फकीर मदारी)मुस्लमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।

vihykaV

cuke

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रतनगढ जिला चूरू ।

रेस्पोडेन्ट

mifLFkr%& 1. श्री कानसिह राठोड अधिवक्ता अपीलांट

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh jrux< ds fu.kZ; o fMØh fnukad 21-08-2019 ds fo:} vihy vUrxZr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.kZ; दिनांकः–27.9.05.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी रतगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2019 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 पुराना 98 नया 121 तादादी 29.15 बीघा रोही ग्राम पडीहारी तहसील रतनगढ में अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर अपीलांट के पूर्वज व अपीलांट 75 वर्षो से कब्जा काश्त में चली आ रही है । जिसे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सिवाय चक दर्ज कर दिया जिस बाबत एक दावा घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 188 एव 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसे

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया जिसकी विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि ख0न0 पुराना 98 नया 121 तादादी 29.15 बीघा रोही ग्राम पडीहारी तहसील रतनगढ में स्थित है । जो की अपीलांट/वादी के पूर्वज दादा नानू शाह पुत्र मोहम्मद शाह की जागीरदारी समय से कृषि भूमि कब्जा काश्त की चली आ रही है । इस वादगत भूमि को अपीलांट के दादा नानू शाह वल्द मोहम्मद शाह माता ईलाईची बेवा ईस्माईल शाह ने 75 वर्ष पूर्व उचें उचें टिलो की भूमि को सारसंभाल कर काश्त योग्य बनाया गया था जिस पर अपीलांट/वादी के पूर्वज व वारिसान पिडीयों से खुद काश्त करते आ रहे है । वादगत कृषि भूमि अपीलांट/वादी के खुदकाश्त खातेदारी की भूमि है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व अपीलांट/वादी के पूर्वजो की काश्त होने से अपीलांट खातेदार काश्तकार हो चुका है । समस्त राजस्व रेकार्ड में अपीलांट/वादी खातेदार काश्तकार दर्ज है । लेकिन सेटलमेंट विभाग ने बिना कब्जा काश्त व मौका की जांच किये, बिना सुनवाई, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अनाधिकार पूर्ण रूप से सरकारी भूमि सिवायचक दर्ज कर दी थी जबकि भूप्रबन्ध विभाग को पूराना राजस्व रेकार्ड की पूनरावृति करनी थी इस प्रकार राजस्व रेकार्ड की अनदेखी कर निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाद को साबित करने के लिये मिसल बंदोबस्त जमाबंदी संवत 2000,2010,2011 से 2014, 2015 से 2018, 2022 से 2025 व गिरदावरियों संवत 2008 से 2030 तक आदि पेश की तथा जवाब दावा प्रतिवादी तहसीलदार ने अपीलांट/वादी के खातेदारी संवत 2025 तक होनी स्वीकार की है व पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12.05.2017 में भी कब्जा काश्त 60 वर्षों से अपीलांट/वादी व उसके पूर्वजों का चला आना स्वीकार किया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने ख0न0 98 के नये ख0न0 121 बनना स्वीकार किया है तथा संवत 2010 की जमाबंदी में अपीलांट/वादी के दादा नानू शाह का नाम दर्ज होना स्वीकार किया है व जमाबंदी सवंत 2018 में कालू शाह अपीलांट की खातेदारी होना स्वीकार किया है तथा पेमाईस विभाग द्वारा कस्टोडियन व 5/6 हिस्सा सिवायचक दर्ज करना किस नियम व किस कानून में किया गया का विवेचन नही किया है । पेमाईस विभाग द्वारा वादगत कृषि भूमि को कस्टोडियन व सिवाय चक दर्ज करने का कोई अधिकार हासिल नही था ओर ना ही उनके पास किसी सक्षम न्यायालय का आदेश था । उक्त वादगत कृषि भूमि में अपीलांट/वादी कालूशाह की भूमि को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवर्तन किया जाना अनाधिकार पूर्ण व शुन्य करार योग्य है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2019 को खारिज किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादगत कृषि भूमि के पुराने ख0न0 98 तादादी 29.15 बीघा नये ख0न0 121 तादादी 29.15 बीघा वाके रोही ग्राम पडिहारी में स्थित है । संवत 2010 की जमाबंदी में गत ख0न0 98 नानू शाह वल्द मोहम्मद शाह के दर्ज

रेकार्ड है । जमाबंदी संवत 2018 में कालू शाह वल्द ईस्माईल शाह के नाम दर्ज है । वादगत कृषि भूमि गत पेमाईस के दोरान नये ख0न0 121 तादादी 29.15 बीघा दर्ज किये गये है जिसके अनुसार भारत सरकार कस्टोडियन विभाग के नाम 5/6 हिस्सा व कालू शाह का 1/6 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है । उक्त वादगत कृषि भूमि अपीलांट/वादी के पूर्वजो की साठ वर्षो से कब्जा काश्त की भूमि रही है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 5/6 हिस्सा पूर्व में कस्टोडियन विभाग के नाम तथा वर्तमान में सिवायचक दर्ज चली आ रही है । सिवाय चक भूमि पर अपीलांट/वादी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2019 यथावत रखे जाने योग्य है ।

4. हमने अपीलांट पक्ष अभिभाषक की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जमाबदी संवत 2000,2010,2011 से 2014, 2015 से 2018, 2022 से 2025 तक लगातार पुराना ख0न0 98 तादादी 29.15 बीघा जिसके नये ख0न0 121 तादादी 29.15 बीघा मिलान क्षेत्रफल से बना होना साबित है । अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदिया सवंत 2000 से 2025 व गिरदावरिया संवत 2008 से 2030 से साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि अपीलांट के दादा नानू शाह वल्द मोहम्मद शाह कालू शाह वल्द ईस्माईल शाह के नाम से दर्ज थी । नानू शाह वल्द मोहम्मद शाह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय टिनेन्ट थे व काश्तकार थे जो अधीनस्थ न्यायालय ने बखूबी साबित हुऐ है किन्तु गत पैमाईस सेटलमेंट विभाग द्वारा वादगत कृषि भूमि को कस्टोडियन/सिवाय चक दर्ज कर दिया गया । सेटलमेंट विभाग को माननीय राजस्व बोर्ड के निर्णय अनुसार खातेदारी अधिकारों को परिवर्तन करने, कम करने अथवा किसी प्रकार की तबदिली करने का क्षेत्राधिकार नही है बिना किसी सक्षम न्यायालय व अधिकारी के आदेश पुराने ख0न0 98 तादादी 29.15 बीघा में नये ख0न0 121 तादादी 29.15 बीघा का गलत अंकन कर कस्टोडियन सिवायचक दर्ज किया जाना न्याय संगत व नियम संगत नही है । पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में प्रदशित हुआ है कि वादगत कृषि भूमि पर अपीलांट/वादी का कब्जा 60 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट/वादी के पूर्वजो व खुद का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है किन्तु राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में सिवाय चक होने के कारण अपीलांट/वादी को सिवाय चक की भूमि पर खातेदारी का अधिकार नही दिया जा सकता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहीं भी अंकित नही किया की अपीलांट/वादी के पूर्वजो की टिनेन्सी एक्ट लागु होने से पूर्व कब्जा काश्त की भूमि जो टिनेन्सी एक्ट लागू होने पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने पर भूप्रबन्ध विभाग द्वारा कस्टोडियन /सिवाय चक किस आधार पर दर्ज किया गया क्या सेटलमेंट विभाग को उस समय किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार हासिल था या कोई सक्षम न्यायालय का आदेश था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओ पर कोई विवेचना नही की गयी ओर सिधे ही सिवायचक की भूमि पर खातेदारी अधिकार नही दिया जा सकता का निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण से साबित होता है कि संवत 2012 यानि सन 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब से व उससे पूर्व जमाबंदी संवत 2000,2010,2011 से 2014,2015 से 2018 व 2022 से 2025 तक राजस्व रिकार्ड में कालूशाह व उसके पूर्वजो के नाम खुद काश्त दर्ज है जो स्वतः ही काश्तकार/खातेदार बन चुके है उसको बिना किसी सक्षम आदेश के सेटलमेंट विभाग द्वारा कस्टोडियन एवम सिवायचक दर्ज किया जाना अनुपयुक्त सिद्व होता है । उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2019 को अपास्त किया जाता है । वादगत भूमि के पुराना ख0न0 98 नया ख0न0 121 तादादी 29.15 बीघा ग्राम पडिहारी तहसील रतनगढ में अपीलांट को खातेदार घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में संवत 2028 से पूर्व की पूर्ववत प्रविष्टि अंकित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 27.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkM+h½
Hkw izcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj